कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर
विज्ञप्ति
देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019–20

कैम्प भोपाल, दिनांक 16.03.2019

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2019–20 के लिये, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2018–19 में संचालित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों (जिन्हें आगे समूहों के नाम से सम्बोधित किया गया है) का निष्पादन निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन वर्ष 2018–19 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2019–20 हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा घोषित निष्पादन स्थलों पर किया जाएगा। शासन को यह अधिकार होगा कि वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में वर्ष 2019–20 अवधि के दौरान यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

1. निष्पादन की प्रक्रिया :–

1.1 प्रथमतः वर्ष 2018–19 के समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

1.2 जिन समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नही होंगे, उन समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र पूर्व वर्षों की भॉति आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों को परिभाषित करने के लिए उन्हें पूर्व की भांति लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा।

1.3 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये, समग्र में यदि जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी समस्त आवेदित समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में किया जायेगा। वर्ष 2019–20 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहे समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किया जायेगा।

1.4 जिले में मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी समूह पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

1.5 राजस्व हित में जिन जिलों में वर्ष 2018–19 में संचालित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जिलों की समस्त मदिरा की दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किया जायेगा।

2. निष्पादन का कार्यक्रम

नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्रों तथा **ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन)** के माध्यम से मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम (टाइम टेबल) अनुसार किया जायेगा :–

क्रमांक	विवरण	तिथि व समय
1.	नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 12 मार्च 2019 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 05:30 बजे तक।
2.	नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 12 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 06:00 बजे तक।

3.	नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय से दिनांक 18 मार्च 2019 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 19 मार्च, 2019 की दोपहर 01:00 तक।
4.	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 18 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 19 मार्च, 2019 की दोपहर 02:30 तक ।
		टीपः— लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।
5.	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 19 मार्च 2019 को अपरान्ह 03:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

ई—टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :—(प्रथम राउण्ड)

1.	ई—टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन—लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई—टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 20 मार्च 2019 को प्रातः 11:00 बजे से 22 मार्च 2019 अपरान्ह 02:00 बजे तक।
2.	ई—टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन—लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 22 मार्च 2019 अपरान्ह 04:00 बजे से।
3.	ई—टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)
	(i) प्रथम चक्र	दिनांक 23 मार्च 2019
	(ii) द्वितीय चक्र	दिनांक 24 मार्च 2019
	(iii) तृतीय चक्र	दिनांक 25 मार्च 2019
3.	जिला समिति द्वारा ई—टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	ऑक्शन पूर्ण होने पर।

ई—टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :— (द्वितीय राउण्ड)
जिन समूहों में प्रथम राउण्ड में आरक्षित मूल्य से कम राशि प्राप्त हुई है।

1.	ई—टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन—लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई—टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से 27 मार्च 2019 सायंकाल 05:00 बजे तक।
2.	ई—टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन—लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 27 मार्च 2019 सायंकाल 05:30 बजे से।

3.	ई–टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 28 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)
4.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	कार्यवाही पूर्ण होने पर।

ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम :–(तृतीय राउण्ड) द्वितीय राउण्ड में निष्पादन से शेष रहे समूहों के लिए।

1.	ई–टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 30 मार्च 2019 को प्रातः 10:00 बजे से 30 मार्च 2019 अपरान्ह 02:00 बजे तक।
2.	ई–टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 30 मार्च 2019 अपरान्ह 02:30 बजे से।
3.	ई–टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 30 मार्च 2019 को अपरान्ह 03:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)
4.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	कार्यवाही पूर्ण होने पर।

टीप :– ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) तिथियों में एवं प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को रहेगा।

3. **मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी, व्यवस्था तथा लागू होने वाले निर्बन्धन एवं शर्तें:–**

वर्ष 2019–20 के लिये निष्पादित की जाने वाली सभी देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के एकल समूहों की सूची (जानकारी), उनका आरक्षित मूल्य, नवीनीकरण आवेदन पत्र/लॉटरी आवेदन पत्र/ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की जायेगी। निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त जानकारी, नियमों, विक्रय ज्ञापन, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के नौ माह की खपत आदि की जानकारी, घोषित निष्पादन स्थल की जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन, (अवकाश के दिन सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेब साईट www.govtpressmp.nic.in एवं आबकारी विभाग की वेबसाईड www.mpexcise.org से भी डाउनलोड की जा सकती है।

मदिरा दुकानों के एकल समूहों से संबंधित आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ–साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। साथ ही समाचार के रूप में स्थानीय स्तर पर प्रकाशित करायी जायेगी। नवीनीकरण/लॉटरी/ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन से शेष रहीं मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची का प्रकाशन प्रत्येक जिले द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव एक राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र में कराया जाएगा। साथ ही समाचार के रूप में स्थानीय स्तर पर प्रकाशित कराया जाये।

ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) सुविधा प्रदाता NIC के पोर्टल

(https://mptenders.gov.in) पर भी अपलोड/घोषित की जायेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु ई–टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/कन्सॉर्टियम (Consortium) भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई–टेण्डर द्वारा NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर ऑफर दे सकते हैं।

(रजनीश श्रीवास्तव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश